न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:— 26 / 2024 तारीख रजू :— 24.12.2024

पीठासीन अधिकारी :— पूजा मीना आर.ए.एस.

शिवचरण मीना पुत्र नारायण मीना उम्र 55 वर्ष जाति मीना निवासी खोहरा तहसील टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी (राज0)

प्रार्थी

वनाम

तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी (राज0)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम
बाबत सही किये जाने प्रविष्टि

उपस्थित :— 1 श्री राजकुमार कुमार सिंह राजावत प्रार्थी

2 पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम अप्रार्थी

निर्णय दिनांक— 31.07.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि खाता संख्या 660 में वर्णित भूमि हाल खसरा नम्बर 156 / 0.14, 157 / 0.06, 159 / 0.07, 160 / 0.19, 2752 / 161 / 0.10, 2753 / 161 / 0.10 कुल किता 6 कुल रकवा 0.66 है0 स्थित ग्राम खोहरा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी (राज0) में है। जिसमें प्रार्थी का पिताजी नारायण मीना पुत्र भोलू मीना उक्त भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार थे जो हाल जमाबन्दी सम्वत् 2076—79 से भली—भांति साबित है। खाता संख्या 661 में वर्णित भूमि हाल खसरा नम्बर 158 रकवा 0.04 है0 कुल किता 1 कुल रकवा 0.04 है0 स्थित ग्राम खोहरा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी (राज0) में है। जिसमें प्रार्थी का पिताजी नारायण मीना पुत्र भोलू मीना उक्त भूमि का रिकॉर्डेड सहखातेदार काश्तकार थे जो हाल जमाबन्दी सम्वत् 2076—79 से भली भांति साबित है। प्रार्थी के पिता का सही नाम नारायण मीना है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:40:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

जबकि रेवेन्यू कर्मचारियों ने प्रार्थी के पिता का नाम नारायण के स्थान पर श्री नारायण मीना गलत दर्ज कर दिया है जबकि अन्य दस्तावेजों व अन्य समस्त आराजीयात में प्रार्थी के पिता का नाम नारायण मीना है। जिसका दुरूस्त होना कानूनन आवश्यक है एवं न्यायसंगत है तथा ग्राम खोहरा में श्रीनारायण पुत्र भोलू नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। खातेदारी में दर्ज नारायण मीना पुत्र भोलू जो कि प्रार्थी के पिता है जिनका देहान्त 22.06.2019 को हो गया था

प्रार्थी दिनांक 14.12.2024 को तहसील कार्यालय में जाकर प्रार्थी के पिताजी के नाम दुरूस्त करवाने के लिये तहसील टोडाभीम से निवेदन किया था परन्तु तहसीलदार टोडाभीम ने कहा कि उक्त नामों को शुद्ध करवाने के लिये सक्षम न्यायालय में दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश करो। इसलिये श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ है। दिनांक 14.12.2024 को तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रार्थी के पिता के गलत नामों को शुद्ध करने से इन्कार करने के कारण अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई है। प्रार्थना पत्र बखिलाफ अप्रार्थी बावत इन्द्राज दुरूस्ती पेश किया जाकर भूमि आराजी खाता संख्या 660 में वर्णित खसरा नम्बर 156/0.14, 157/0.06, 159/0.07, 160/0.19, 2752/161/0.10, 2753/161/0.10 कुल किता 6 कुल रकवा 0.66 है0 एवं खाता संख्या 661 में वर्णित भूमि हाल खसरा नम्बर 158 रकवा 0.04 है0 कुल किता 1 कुल रकवा 0.04 है0 स्थित ग्राम खोहरा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी (राज0) में प्रार्थी के पिता श्रीनारायण पुत्र भोलू के स्थान पर नारायण मीना पुत्र भोलू मीना नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया है अप्रार्थी की ओर से पैरोकार उपस्थित हुये, पैराकार सरकार की ओर से जबाव प्रस्तुत किया कि ग्राम खोहरा में जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 660 किता 6 रकवा 0.66 है0 हिस्सा पूर्ण एवं खाता संख्या 161 किता 1 रकवा 0.04 है0 में हिस्सा 5/24 [illegible] पुत्र [illegible] दर्ज रिकार्ड है। हॉल जमाबंदी के ख0न0 156/0.14,157/0.[illegible] 158/[illegible]04,159/0.07,160/0.19,161/0.20 साविक ख0न0 क्रमशः 534 रकबा 11 [illegible], 533 रकबा 5 विस्वा, 533 रकबा 5 विस्बा, 535 रकबा 3 विस्वा, 532 रक[illegible] 6 विस्वा, 537 रकबा 16 विस्वा से बने है। साविक जमाबंदी सवत् 2026–36 के खाता संख्या 214 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:40:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

ख0न0 532 व 537 पर नामा0 संख्या 696 द्वारा खातेदारी अधिकार श्रीनारायण पुत्र भोलू के नाम दर्ज हुआ है।

साविक जमाबंदी सवत् 2041–43 के खाता संख्या 73 पर ख0न0 533,534 व 536 खिलाडी भरोसी पिता श्रीया जाति मीना के नाम दर्ज रिकार्ड था। एवं खाता सं0 333 पर ख0न0 535 मोरहपाल कजोडी लल्लू जिन्सी पि0 विशन्या वगै0 के नाम दर्ज रिकार्ड थी। वर्तमान ख0न0 156, 157, 158, 160 दौरान भू प्रबन्ध के खातेदारो से सीधे ही श्रीनारायण पुत्र भोलू जाति मीना के नाम मिसल बन्दोबस्त के खाता संख्या 526 व 527 पर दर्ज हुए है। प्रार्थी का रिकार्ड में अंकन का कोई नामान्तकरण संख्या दर्ज नहीं है। परन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को श्रीनारायण पुत्र भोलू के नाम क्रयशुदा होना बताया गया है। खातेदार श्रीनारायण द्वारा ख0न0 161 रकबा 0.20 है0 मे से 0.10 है0 भूमि को आवासीय संपरिवर्तन श्रीनारायण पुत्र भोलू के नाम से कराई गयी थी। जिससे स्पष्ट होता है कि खातेदार का नाम श्रीनारायण पुत्र भोलू ही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

मैने अधिवक्तागण की बहस सुनी अधिवक्ता वादी अधिवक्ता द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता का नाम नारायण मीना पुत्र भोलू मीना है लेकिन रेवेन्यू रिकोर्ड श्रीनारायण पुत्र भोलू हो गया है जबकि मेरे पिता के समस्त दस्तावेजो मे पिता का नाम नारायण मीना है। प्रस्तुत दस्तावेजो मे आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि के दस्तावेज पेश किये। पैरोकार तहसीलदार द्वारा अपने जबाब के कथनो का दोहराते हुए कथन किया कि उक्त आराजी में प्रार्थी के पिता का नाम श्रीनारायण पुत्र भोलू है जो वर्तमान ख0नं0 156, 157, 158, 160 दौरान भू प्रबन्ध के खातेदारों से सीधे ही श्रीनारायण पुत्र भोलू जाति मीना के नाम मिसल बन्दोबस्त के खाता संख्या 526 व 527 पर दर्ज हुये है।

मैने वादी वकील व [illegible] बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का [illegible] ग्राम खोहरा के जमाबनदी सम्वत् 2076–79 के खाता [illegible] 660 में [illegible]6 कुल रकवा 0.66 है0 में हिस्सा पूर्ण एवं खाता संख्या 661 किता 1 रकवा 0.[illegible] में हिस्सा 5 / 24 में प्रार्थी के पिता का नाम श्रीनारायण पुत्र भोलू के नाम दर्ज रिकार्ड है। खातेदार श्रीनारायण द्वारा ख0नं0 161 रकवा 0.20 है0 में से 0.10 है0 भूमि का आवासीय सम्परिवर्तन भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:40:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

मु0नं0 26/2024 उनवान शिवचरण बनाम तहसीलदार

श्रीनारायण पुत्र भोलू के नाम से कराई गई है। उक्त प्रकरण 136 के क्षेत्राधिकार से परे होने तथा तहसीलदार टोडाभीम की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

यह निर्णय दिनांक 31.07.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:40:17 IST
Reason: SelfAttested